संख्या-42/2026/77-1002-2-2021-467

प्रेषक,

राम बृज राम,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21-07-2026

विषय:- उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर के मुख्यालय के स्केल्टन स्टाफ के वेतन,रख रखाव, विधिक व्यय, लेखे तैयार कराये जानें एवं होल्डिंग आन आपरेशन के मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर के मुख्यालय के स्केल्टन स्टाफ के वेतन, रख रखाव, विधिक व्यय, लेखे तैयार कराये जानें एवं होल्डिंग आन आपरेशन के मद में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू० 52,56,000.00 लाख (रू० बावन लाख छप्पन हजार मात्र) का प्राविधान किया गया है। उक्त सम्पूर्ण प्राविधानित धनराशि रू० 52,56,000.00 लाख (रू० बावन लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1. उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि०, कानपुर को होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में उक्त स्वीकृत धनराशि रू० 52,56,000.00 लाख (रू० बावन लाख छप्पन हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा आहरित कर उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि०, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।
2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 14 प्रतिशत (11.50+2.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 2.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई व्यवधान न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में व्यवधान होने पर निर्धारित 14 (चौदह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

5. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।

6. स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2027 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को भेजी जाए।

7. उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें।

8. उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कं०लि०, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें:-

(क)- कोषागार का नाम।

(ख)- चालान संख्या व दिनांक।

(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।

(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।

(च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।

(छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ

9. ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।

10. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

11. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

12. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर धनराशि से संबंधित आँकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के स्वयं उत्तरदायी होंगे।

13. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कं०लि०, कानपुर उक्त बंद पड़ी कम्पनी की परिसमापन आदि के संबंध में कार्ययोजना तथा अद्यतन कृत कार्यवाही का विवरण शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये रू० 52,56,000.00 लाख (रू० बावन लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 6860011900400 उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि. को कर्ज **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-6-18-X-2026-27, दिनांक 14.07.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

(राम बृज राम)
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

संख्या व दिनांक : यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, प्रयागराज।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कं०लि०, कानपुर।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ०प्र०, कानपुर।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आवंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कं०लि०, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
6. वित्त अधिकारी, उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कं०लि० कानपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ०प्र० शासन।
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम बृज राम)
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

http://shasa

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।